Gram : UNIVERSITY
Web: www.kanpuruniversity.org
E-mail:csjmu@kanpuruniversity.org, registrarcsjmuknp@gmail.com

☎: 0512-2580044

# छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR
कल्यानपुर, कानपुर–208024
Kalyanpur, Kanpur-208024

सन्दर्भ सं०: सी.एस.जे.एम.वि.वि. / कुसका. / सम्ब. / 1360 / 2019

दिनांक : 8/2/2019

## सम्बद्धता–आदेश

उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) की धारा–37(2) के अन्तर्गत उच्च स्तरीय सम्बद्धता समिति की संस्तुति (दिनांकः 05.02.2019) के उपरान्त कार्यपरिषद से अनुमति की प्रत्याशा में **श्री बाबू सिंह जय सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, भाऊपुर, बेबर रोड, फतेहगढ़, फर्रूखाबाद को बी०ए०एम०एस० पाठ्यक्रम (100 सीट्स)** में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत सत्र 2018–19 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता प्रदान की जाती है:–

1. संस्था / महाविद्यालय निरीक्षण आख्या एवं प्रपत्र–**बी** में इंगित समस्त कमियों (**यथा**- संदर्भित पाठ्यक्रम में अनुमोदित शिक्षकों की संख्या मानकानुसार नहीं है) को एक माह में अवश्य पूर्ण कर लेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्षों में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा। उक्त के अनुमोदन एवं तैनाती के कार्य को एक माह में पूर्ण करते हुए परिनियम 13.30 *"The Executive Council may direct a college not to admit students to a particulars class if the conditions laid down for starting the classes have, in the opinion of the Executive Council been disregarded by the college concerned. The classes may however be restarted with the prior permission of the Executive Council when the conditions are fulfilled to its satisfaction"* की व्यवस्थानुसार समयान्तर्गत कक्षा संचालन (Starting The Class) की अनुमति प्राप्त की जाएगी।
2. **यह सम्बद्धता आदेश कक्षा संचालन की अनुमति नहीं है। परिनियम 13.30 की व्यवस्थानुसार कक्षा संचालन (Starting The Class) की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात अध्ययन / अध्यापन कार्य सम्पन्न कराया जायगा।**
3. संस्था शासन द्वारा निर्धारित फीस की धनराशि ही छात्रों से लेगी तथा मेडिकल कालेज में प्रवेश के साधन / विधि के सम्बन्ध में शासन द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. संस्था महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 लखनऊ को प्रवेशित अभ्यर्थियों एवं रिक्तियों की सूचना नियमानुसार उनके द्वारा निर्धारित समय के अन्दर उन्हें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी तथा इस सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत होने वाले शासनादेशों का पालन करेगी।
5. संस्था द्वारा प्रवेशित विद्यार्थियों की परीक्षा सी0सी0आई0एम0 / मेडिकल काउन्सिल आफ इण्डिया के रेगुलेशन एवं अन्य दिशा निर्देशों के अनुपालन के साथ निर्धारित पठन दिवस के उपरान्त ही करायी जायेगी।
6. संस्था प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली / अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
7. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली / अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों को पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 के सुसंगत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
8. उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित) के संगत प्राविधान के अधीन विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त होने के पश्चात ही सम्बन्धित पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया जायेगा।
9. चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा पाठ्यक्रम हेतु अर्ह एवं अनुमोदित शिक्षकों की उपलब्धता / निरंतरता सुनिश्चित की जायेगी।
10. मानकानुसार शिक्षकों की निरन्तरता एवं बैंक के माध्यम से उनके वेतन भुगतान महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

डा0 (विनोद कुमार सिंह)
कुलसचिव

*प्रतिलिपिः*– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव कुलपति, माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
2. सचिव, आयुर्वेद योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय, बी0 ब्लाक, जी0पी0ओ0 काम्प्लेक्स, आई0एन0ए0, नई दिल्ली।
3. सचिव, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद, 61–65 इन्स्टीट्यूशनल एरिया, जनकपुरी, नई दिल्ली।
4. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5. निदेशक, आयुर्वेद सेवाएं, उ0प्र0 लखनऊ।
6. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, कानपुर मण्डल, कानपुर।
7. **निदेशक / सचिव, श्री बाबू सिंह जय सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, भाऊपुर, बेबर रोड, फतेहगढ़, फर्रूखाबाद** को इस आशय से प्रेषित है कि सम्बद्धता आदेश में वर्णित शर्तों का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
8. परीक्षा नियंत्रक, सी०एस०जे०एम०वि०वि०, कानपुर।
9. सिस्टम मैनेजर, सी०एस०जे०एम०वि०वि०, कानपुर को इस आशय से प्रेषित है कि पत्र को सम्बन्धित महाविद्यालय के कालेज लॉगिन में अपलोड कराने का कष्ट करें।
10. प्रोग्रामर, ई०डी०पी० सेन्टर, सी०एस०जे०एम०वि०वि०, कानपुर ।
11. नोडल अधिकारी, छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ।